प्रकरण संख्या 78 / 14 2016 / 00016 तारीख रजु–09.10.2014

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

रामहरि पुत्र श्रीलाल जाति मीना उम्र 58 साल निवासी गज्जूपुरा तहसील सपोटरा, जिला करौली (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. उपजिला कलक्टर, सपोटरा
2. तहसीलदार सपोटरा
3. सरपंच ग्राम पंचायत सपोटरा

– अप्रार्थीगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र बाबत् श्रीमान्जी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 13.02.2014 नं. मु. 601 दिनांक 13.02.2014 जिसके जरिये आराजी खसरा नं. 41 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा गै.मु. बेहड़ ग्राम गज्जूपुरा के धारा 92, 1956 एल.आर. एक्ट के तहत श्मशान हेतु आरक्षित की गई है।

निर्णय

दिनांक–19.06.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी आराजी खसरा नं. 41 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा ग्राम गज्जूपुरा तहसील सपोटरा पर करीब 35 साल से लगातार काश्त करता चला आ रहा है। सन् 1957 से प्रार्थी के कब्जे बाबत् (पी–14) खसरा परिवर्तनशील नकलें प्रार्थी के पास मौजूद हैं। प्रार्थी का कब्जा दस्तावेजों के आधार पर पूर्ण प्रमाणित है। सरपंच ग्राम पंचायत गज्जूपुरा को आवंटन के लिए उक्त भूमि रिक्त नहीं होने की जानकारी होने पर भी आवंटन का प्रस्ताव भेजने से पूर्व प्रार्थी को सूचना नहीं दी। प्रार्थी को सुना जाकर ही उक्त भूमि को सेट अपार्ट किया जाना न्यायानुकूल है। ग्राम गज्जूपुरा में पूर्व से ही श्मशान स्थित है जिसके चारों तरफ बाउण्ड्री हो रही है एवं सरकारी हैण्डपम्प लगा हुआ है। प्रार्थी के 35 वर्ष पुराने कब्जे को हड़पने के लिए उक्त आवंटन कराया गया है। विपक्षीगण एवं राजनैतिक व्यक्ति एक ही जाति विशेष के होने के कारण चुनावी रंजिश निकालने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। प्रार्थी को उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.09.2014 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के कब्जे की रिपोर्ट यानि प्रार्थी की काश्ता फसल खडी बाबत् रिपोर्ट करने से इंकार कर दिया और कहा कि मैंने तो श्मशान हेतु भूमि का प्रस्ताव भेजने बाबत् तहसीलदार सपोटरा को निवेदन कर दिया है। उसी रोज जिला कलक्टर करौली के यहां से नकल प्राप्त कर अन्दर म्याद यह पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के समक्ष जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पुनरीक्षण दर्ज रजिस्टर किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधीनस्थ रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

जिला कलक्टर
करौली

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी आराजी खसरा नं. 41 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा ग्राम गज्जूपुरा तहसील सपोटरा पर करीब 35 साल से लगातार काश्त करता चला आ रहा है। सन् 1957 से प्रार्थी के कब्जे बाबत् (पी–14) खसरा परिवर्तनशील नकलें प्रार्थी के पास मौजूद हैं। प्रार्थी का कब्जा दस्तावेजों के आधार पर पूर्ण प्रमाणित है। सरपंच ग्राम पंचायत गज्जूपुरा को आवंटन के लिए उक्त भूमि रिक्त नहीं होने की जानकारी होने पर भी आवंटन का प्रस्ताव भेजने से पूर्व प्रार्थी को सूचना नहीं दी। प्रार्थी को सुना जाकर ही उक्त भूमि को सेट अपार्ट किया जाना न्यायानुकूल है। ग्राम गज्जूपुरा में पूर्व से ही श्मशान स्थित है जिसके चारों तरफ बाउण्ड्री हो रही है एवं सरकारी हैण्डपम्प लगा हुआ है। राजनैतिक द्वेषता के कारण यह प्रस्ताव भेजा गया है। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि ग्राम पंचायत गज्जूपुरा द्वारा श्मशान भूमि चाहने बाबत् कोई प्रस्ताव तक नहीं लिया गया है। प्रमाण में ग्राम पंचायत गज्जूपुरा का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि श्मशान भूमि हेतु भूमि का आरक्षण नियमानुसार किया गया है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने से किसी अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो जाते। श्मशान के लिए भूमि का प्रस्ताव भेजते समय भूमि अतिक्रमण रहित थी। इसके अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित किये गये मूल आदेश का रिवीजन (पुनरीक्षण) उनके स्वयं के न्यायालय में नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत गज्जूपुरा द्वारा श्मशानघाट भूमि के विस्तार हेतु ग्राम सभा की बैठक दिनांक 27.06.2013 को प्रस्ताव संख्या तीन पर प्रस्ताव लिया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। ग्राम पंचायत गज्जूपुरा द्वारा ग्रामसभा बैठक दिनांक 27.06.2013 को प्रस्ताव संख्या तीन पर श्मशानघाट भूमि के विस्तार हेतु प्रस्ताव लिये जाने पर श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने की प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न की गई है। जिला कलक्टर के मूल आदेश का पुनरीक्षण स्वयं के न्यायालय में नहीं किया जा सकता। हम अप्रार्थीगण के कथनों से सहमत हैं। अतः प्रार्थना पत्र पुनरीक्षण प्रार्थी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अस्तु प्रार्थना पत्र पुनरीक्षण प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी सपोटरा, तहसीलदार सपोटरा एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सपोटरा को भिजवाई जावे। अधीनस्थ कार्यालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली